

कार्यालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर

क्रमांक:- 68

दिनांक:-26.10.18

कार्यालय-आदेश

मैं महेन्द्र प्रताप बेनीवाल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर द.प्र.सं. की धारा 14 व 15 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मेडता न्यायक्षेत्र में माह अक्टूबर, 2018 में राजपत्रित अवकाशों के दौरान रिमाण्ड, मृत्युकालीन कथन, अभिरक्षा में हुई मृत्यु के कारणों की जांच आदि आवश्यक फौजदारी कार्य करने हेतु निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट की ड्युटी लगाता हूँ, जो अपने पदस्थापन मुख्यालय पर उपस्थित रहकर संबंधित ब्लॉक में स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित उपरोक्त आवश्यक कार्य का सम्पादन करेंगे।

क्र.सं.	दिनांक	नागौर+मेडता ब्लॉक	डीडवाना+परबतसर ब्लॉक
1.	04.11.18 से दि. 07.11.18 तक	श्री गजेन्द्रकुमार, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट मेडता मो.नं. 9460251366	ज्योतिकुमारी सोनी, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, परबतसर मो.नं. 9413148870
2.	08.11.18 से दि. 11.11.18 तक	श्री अरूण जांगीड, न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, जायल मो.नं. 8385025257	ज्योतिकुमारी सोनी, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, परबतसर मो.नं. 9413148870
3.	18.11.18	श्रीमती लतिका दीपक पाराशर, अतिरिक्त मुख्य न्या. मजिस्ट्रेट, मेडता मो.नं. 9461646066	श्रीमति पूर्वा चतुर्वेदी, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मकराना मो.नं. 7597901048
4.	21.11.18	महेशसिंह मीणा, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर-01582-247099	श्री कन्हैयालाल पारीक, न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना मो.नं. 9414547152
5.	23.11.18 से 25.11.18 तक	श्रीमति दीप्ति श्रीवास्तव, अति. मुख्य न्या. मजिस्ट्रेट, डेगाना मो.नं. 9982338665	श्री पवनकुमार विश्नोई, न्यायिक मजिस्ट्रेट, लाडनुं 01581-224991

- नोट-1. अधिकृत अधिकारी की उक्त रिमाण्ड ड्युटी संबंधित राजपत्रित अवकाश के दिवस के अतिरिक्त उक्त राजपत्रित अवकाश के अग्रिम कार्य दिवस के कार्यालय समय पूर्व तक रहेगी।
2. आकारिमक रूपसे किसी अवकाश के घोषित होने पर एवं तारांकित अवकाश के परिवर्तित होने की स्थिति में अधिकृत अधिकारी की ड्युटी उक्त अवकाश के लिए एवं परिवर्तित अवकाश की तिथि के लिए मान्य होगी।
3. संबंधित राजपत्रित अवकाश के दिवस के लिए रिमाण्ड ड्युटी हेतु अधिकृत अधिकारी द्वारा अवकाश पर रहने/मुख्यालय छोड़ने की स्वीकृति/अनुमति चाहे जाने की स्थिति में व अपने स्थान पर कार्य करने हेतु अन्य अधिकारी का सहमति पत्र इस कार्यालय में प्रेषित कर स्वीकृति/अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही अवकाश पर रहने/मुख्यालय छोड़ने की स्वीकृति/अनुमति प्राप्त कर सकेंगे।

(हस्ताक्षर)
महेन्द्र प्रताप बेनीवाल,
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
नागौर।

क्रमांक:-

दिनांक:-26.10.18

- प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
01. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, मेडता।
 02. श्रीमान् अपर सेशन न्यायाधीश, सं.1, 2 नागौर, मेडता, परबतसर, डीडवाना
 03. संबंधित पीठासीन अधिकारी बार को सूचना देवे एवं एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें।
 04. जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर को प्रेषित कर लेख है कि आप अपने अधीनस्थ सभी वृत्ताधिकारियों व थानाधिकारियों को सूचित करें।
 05. सहायक निदेशक, अभियोजन विभाग, नागौर।
 06. जिला आबकारी अधिकारी, नागौर को प्रेषित कर लेख है कि वह अपने अधीनस्थ सभी आबकारी थानों एवं आबकारी वृत्तों को सूचित करावें।

(हस्ताक्षर)
महेन्द्र प्रताप बेनीवाल,
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
नागौर।